राकेश और अन्य

बनाम

मध्यप्रदेश राज्य

(फौजदारी अपील नं.339/2008)

19 सितम्बर, 2011

(पी.सथाशिवम और डॉ.बी.एस.चौहान जे.जे.)

भा.दं.संहिता, 1860-धारा 302-पी.डब्ल्यू.11 के चाचा की तेजधार वाले हथियारों से हमले के कारण मृत्यु-पीडब्ल्यू.11 की गवाही-अभियुक्त -अपीलार्थी की दोष सि्द्ध को चुनौती-अभिनिर्धारित-यह असम्भव था कि अपीलार्थी /अपीलकर्ताओं को गलत तरीके से फंसाया गया था क्योंकि एफ.आई.आर.दर्ज करने में तत्परता से पता चलता है कि हेरफेर के लिए कोई समय नहीं था-पीडब्ल्यू.11 द्वारा घटना की सभी ज्वलंत विवरणों के साथ त्वरित और शीघ्र रिपोर्टिंग इसके संस्करण की सत्यता के बारे में आश्वासन देती है-पीडब्ल्यू.11 ने कड़ी प्रतिपरीक्षा का सामना किया-यद्यपि इस तथ्य के बावजूद कि वह मृतक का भतीजा था कोई विसंगति या त्रुटि नहीं दिखाया जा सका-पीडब्ल्यू.11 ने मृतक के चोटें पहुंचाने के दौरान प्रत्येक दृश्यों का पूरा लेखा जोखा दिया-वह प्राकृतिक गवाह था और उसकी गवाही ने आत्मविश्वास को प्रेरित किया-अन्य परिस्थितियां विशेष रूप से अन्वेषण अधिकारी के बयान (पी.डब्ल्यू.21) और पी.डब्ल्यू.9, अभियुक्तगण

की गिरफतारी और उनके प्रकटीकरण बयानों के आधार पर हथियारों की बरामदगी अभियोजन मामले को साबित करता है। अभियुक्त/ अपीलार्थीगण की दोष सिद्धि तद्नुसार बरकरार रखी गई।

आपराधिक विचारण-हत्या-मृत्यु का समय-निर्धारण-पी.डब्ल्यू.8 द्वारा पोस्टमार्टम परीक्षण किया गया-मृत्यु के समय के बारे में पी.डब्ल्यू.8 की राय-अभिनिर्धारित-पी.डब्ल्यू.8 की राय है कि मृतक की मृत्यु पोस्टमार्टम परीक्षण से 3 से 6 घंटे के पूर्व हुई, इसका मतलब यह नहीं है कि पी.डब्ल्यू.8 मौत का कोई सटीक समय तैय करने में सक्षम थे-मृत्यु के बाद शरीर की शारीरिक स्थिति बड़ी संख्या में परिस्थितियों/कारकों पर निर्भर करेगी और निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है-मुददे का निर्धारण करने में मृतक की उम्र और स्वास्थय स्थिति घटनास्थल की जलवायु और वायुमंडलीय स्थितियां और वे परिस्थितियों जिनके तहत शरीर को संरक्षित किया गया है, जैस विभिन्न कारकों पर विचार किया जाना आवश्यक है-मृत्यु का सही समय वैज्ञानिक और सटीक रूप से स्थापित नहीं किया जा सकता है।

साक्ष्य-चिकित्सा साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य में असंगतता-इसका प्रभाव-अभिनिर्धारित-चक्षु साक्ष्य को प्रधानता मिलेगी, जब तक कि यह स्थापित न हो जाए कि मौखिक साक्ष्य, चिकितसा साक्ष्य के साथ पूरी तरह असंगत है।

साक्ष्य-गवाह-सम्बन्धित गवाह-अभिनिर्धारित-सम्बन्धित गवाह के साक्ष्य पर भरोसा किया जा सकता है, बशर्ते वह भरोसेमंद हो-महज रिश्ता किसी गवाह को अयोग्य नहीं ठहरा देता-जो गवाह पीड़ित से संबंधित है, वे अन्य गवाहों की तरह ही तथ्यों को बयान करने में सक्षम हैं-किसी मामले में आरोपी की सजा पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले ऐसे सबूतों की सावधानीपूर्वक जांच और सराहना की जाना आवश्यक है।

साक्ष्य-गवाहों के बयानों में विरोधाभाष-इसका प्रभाव-अभिनिर्धारित-भले ही गवाहों के विवरण के बीच मामूली विसंगतियां हों, जब वे विवरण पर बात करते हैं, जब तक कि ऐसे विरोधाभाष भौतिक आयामों के न हों, इसका उपयोग साक्ष्य को पूरी तरह से खारिज करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। मामूली विसंगति से अन्य स्वीकार्य साक्ष्य नष्ट नहीं होनी चाहिए।

अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि दोनों अपीलार्थी एक अन्य आरोपी के साथ मिलकर पी.डब्ल्यू.11 के चाचा की हत्या उस पर धारदार हथियारों से हमला कर कारित की। अपराध में प्रयुक्त किए गए सभी हथियार अपीलार्थी एवं एक अन्य आरोपी के द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयानों पर बरामद किए गए। पी.डब्ल्यू.8 ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया-उनकी राय में, तीन कटटे हुए घाव शरीर पर थे-एक गर्दन पर, एक

छाती पर, एक अन्य पेट में और यह सभी चोटें धारदार हथियारों से कारित थी। पी.डब्ल्यू.11 ने घटना का गवाह होने की गवाही दी।

विचारण न्यायालय ने दोनों अपीलार्थीयों एवं एक अन्य आरोपी को धारा 302 भा.दं.सं.के तहत दोषसिद्ध किया और कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि बरकरार रखी गई।

अपीलकर्ताओं ने इस न्यायालय में अपनी दोषसिद्धि को चुनौती दी अन्य आधारों के साथ साथ 1) मृत्यु के समय को लेकर चक्षु सम्बन्धित साक्ष्य, चिकित्सा साक्ष्य के विरोधाभाषी है और 2) कि कथित चश्मदीद गवाह पी.डब्ल्यू.11 पीड़ित से निकट सम्बन्धी था। अभियोजन की ओर से अपने मामले के समर्थन में ऐसा कोई स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किया जो यह कहता कि पी.डब्ल्यू.11 सम्बन्धित समय पर घटनास्थल पर उपस्थित हो सकता था।

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय

अभिनिर्धारित 1.1 यह एक स्थापित कानूनी प्रावधान है कि चक्षु साक्ष्य को प्रधानता मिलेगी जब तक कि यह स्थापित न हो जाए मौखिक साक्ष्य चिकित्सा साक्ष्य के साथ पूरी तरह असंगत है। जहां चिकित्सा साक्ष्य इतना आगे बढ़ जाता है कि साबित होने पर यह चक्षु सम्बन्धी साक्ष्य की सभी संभावनाओं को पूरी तरह से खारिज कर देता है, वहां चक्षु सम्बन्धी साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। (पैरा 9)(45-सी-ई)

1.2 पी.डब्ल्यू.8 की राय यह है कि मौत पोस्टमार्टम से 3 से 6 घण्टे पहले हुई थी। इसका मतलब यह नहीं है कि पी.डब्ल्यू.8 मौत का कोई सटीक समय तय करने में सक्षम थे। मृत्यु के बाद शरीर की शारीरिक स्थिति बड़ी संख्या में परिस्थितियों/कारकों पर निर्भर करेगी और निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। मुददे का निर्धारण करने में मृतक की उम्र, स्वास्थ्य स्थिति, घटनास्थल की जलवायु और वायुमंडलीय स्थितियंा और वे परिस्थितियां जिनके तहत शरीर को संरक्षित किया गया है जैसे विभिन्न कारको पर विचार करना आवश्यक है। मृत्यु का सही समय वैज्ञानिक और सटीक रूप से स्थापित नहीं किया जा सकता है। अपीलकर्ताओं द्वारा अपने बचाव में परीक्षित डी.डब्ल्यू.1 ने बताया कि घटना सुबह 11 बजे की है, जो अभियोजन मामले के अनुरूप है और अपीलकर्ताओं के पक्ष में संतुलन नहीं झुकता है। (पैरा 10-11)(45-एफ-एच, 46-ए-ई)

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम हरीचंद (2009) एससीसी 542ः 2009 (7) एससीआर 149, अब्दुल सैयद बनाम मध्यप्रदेश राज्य (2010) 10 एससीसी 259, 2010 (13) एससीआर 311, भजनसिंह उर्फ हरभजनसिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य, (2011) 7 एससीसी 421, मंगू खान और अन्य बनाम राज.राज्य एआईआर 2005 एससी 1912ः 2005 (2) एससीआर 368 और बासो प्रसाद और अन्य बनाम बिहार राज्य एआईआर 2007 एससी 1019ः 2006 (9) पूरक एससीआर 431 -पर भरोसा

2. रिश्तेदार गवाह के साक्ष्य पर भरोसा किया जा सकता है, बशर्ते वह भरोसेमंद हो। महज रिश्तेदार होने से किसी गवाह को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। जो गवाह पीड़ित से सम्बन्धित है, वह अन्य गवाह की तरह ही तथ्यों को बयान करने में सक्षम है। किसी मामले के आरोपी की सजा पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले ऐसे सबूत की सावधानीपूर्वक जांच और सराहना की जानी आवश्यक है। (पैरा 13) (46-जी-एच, 47-ए)

कार्तिक मल्हार बनाम बिहार राज्य (1996) 1 एससीसी 614ः 1995 (पैरा 5) पूरक एससीआर 239, हिमांशु उर्फ चिन्टू बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ देहली) (2011) (1) एससीआर 48 और भजनसिंह उर्फ हरभजनसिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य, (2011) 7 एससीसी 421 - पर भरोसा

3. पीडब्ल्यू.11 निसंदेह पीड़ित का भतीजा होने से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है उसकी साक्ष्य को उपरोक्त तय कानूनी प्रस्तावों के आलोक में बहुत सावधानीपूर्वक और बारीकी से जांच की जानी आवश्यक है। पीडब्ल्यू.11 के बयान से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि घटना सुबह 10.30 बजे की है और अपीलकर्ताओं ने डी के साथ मिलकर मृतक की गर्दन पर चाकू, गुप्ती और कतरना हथियारों से छाती और पेट पर चोटें पहुंचाई। घटना के समय पीडब्ल्यू.11 पीड़ित से थोड़ी दूरी पर था और उसने मकसद के बारे में भी बताया कि अपीलाण्ट नं.1 मृतक से बर्तन

चाहता था, जिसने आरोपी को देने से इंकार कर दिया और अपीलाण्ट नं.1 ने मृतक को गम्भीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। प्रति परीक्षा में उसने स्वीकार किया है कि घटना के समय पीडब्ल्यू.6, पीडब्ल्यू.12, पीडब्ल्यू.15 आदि उसके साथ थे। इस बात से इनकार किया कि वह डीडब्ल्यू.1 द्वारा सूचित किये जाने पर घटनास्थल पर पहुंचा था और इस सुझाव से भी इंकार किया कि उन्होंने आरोपी व्यक्तियों और मृतक के बीच झगड़ा नहीं देखा। उन्होंने मृतक को चोटें पहुंचाने के दौरान आरोपियों की खुली हरकतों का पूरा ब्यौरा दिया। उनकी साक्ष्य की जांच इस बात को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए कि पटवारी द्वारा तैयार की गई साईट योजना से यह स्पष्ट होता है कि घटना मुख्य सड़क पर हुई थी और पीड़ित तथा पीडब्ल्यू.11 एक ही सड़क पर थे और दोनों के बीच में कोई रूकावट नहीं थी। इस प्रकार पीडब्ल्यू.11 घटना को स्पष्ट रूप से देख सकता था। हालांकि दोनों के बीच की दूरी को लेकर कुछ विवाद रहा है लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते कि आरोपी एक ही गांव का निवासी होने के कारण गवाह को अच्छी तरह से जानता था। इस कारण दूरी महत्वहीन हो जाती है कि गवाह इतनी दूर से भी पहचान सके। पी.डब्ल्यू.6 की गवाही ने अभियोजन पक्ष के मामले का इस हद तक उचित समर्थन किया कि पीडब्ल्यू.11 उससे पहले घटनास्थल पर था। (पैरा 14-15) (47-बी-डी-एच, 48-ए-सी)

4. यह स्पष्ट है कि घटना सुबह 11.30 बजे घटित हुई। घायल को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसकी जांच की और मृत घोषित कर दिया। पी.डब्ल्यू.11 अस्पताल से पुलिस स्टेशन गया और दोपहर 12.30 बजे एफ.आई.आर.दर्ज कराई जिसमें तीनों आरोपियों का विशेष रूप से नाम लिया गया। घटनास्थल से थाना की दूरी महज एक किलोमीटर थी। आरोपियों की खुली करतूत बताई गई। मकसद का भी खुलासा हुआ। यह असम्भव है कि अपीलकर्ताओं को गलत तरीके से फंसाया गया था क्योंकि एफ.आई.आर.दर्ज करने में तत्परता से पता चलता है कि हेरफेर के लिए कोई समय नहीं था। सूचनाकर्ता द्वारा घटना की सभी ज्वलंत विवरणों के साथ त्वरित और शीघ्र रिपोर्टिंग इसके संस्करण की सत्यता के बारे में आश्वासन देती है। (पैरा 16) (48-ई-जी)

5. यह इस कारण से अपील नहीं करता है कि गवाह क्यों अपीलार्थीयों और अन्य आरोपियों को ऐसे जघन्य अपराध में झूठा फंसाएगा और वास्तविक दोषियों को बचाएगा। प्रथम सूचना रिपोर्ट में पी.डब्ल्यू.11 ने खुलासा किया है कि उसके पिता पी.डब्ल्यू.10, पी.डब्ल्यू.6 और पी.डब्ल्यू.12 कार मेंं घटनास्थल पर पहुंचे। चूंकि दोनों पक्ष एक ही गांव के निवासी होने के कारण एक दूसरे को जानते थे इसलिए पहचान आदि को लेकर कोई विवाद नहीं था। (पैरा 16) (48-49-ए-बी)

6. विचारण न्यायालय ने रिकार्ड पर सबूतों की सराहना की और इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि अनिल (पी.डब्ल्यू.11) एक भरोसेमंद गवाह था और घटना का चश्मदीद गवाह था। उसे कड़ी जिरह का सामना करना पड़ा था। हालांकि इस तथ्य के बावजूद कि वह मृतक का भतीजा था कोई विसंगति या त्रुटि नहीं दिखाई जा सकी। उसके बयान की सावधानीपूर्वक जांच करने पर उसका बयान भरोसेमंद पाया गया। अदालत ने आगे कहा कि भले ही मौके पर मौजूद अन्य गवाहों ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया हो पी.डब्ल्यू.11 एक स्वाभाविक गवाह था और उसने घटना देखी थी। अन्य परिस्थितियां विशेष रूप से अन्वेषण अधिकारी (पी.डब्ल्यू.21) और पी.डब्ल्यू.9 के बयान आरोपियों की गिरफतारी, उनके प्रकटीकरण बयानों पर हथियारों की बरामदगी ने अभियोजन पक्ष के मामले को साबित कर दिया। पी.डब्ल्यू.21 की गवाही स्वाभाविक थी। इस बात का कोई सबूत नहीं था कि आई.ओ.की मृतक से कोई दुश्मनी या किसी प्रकार की रूचि और निकटता थी इसलिए आई.ओ.के बयान पर विश्वास न करने का सवाल ही नहीं उठता। (पैरा 17) (49-सी-एफ)

7.1 दोनों नीचे की अदालतों के तथ्यों पर समवर्ती निष्कर्ष है। जब तक इस प्रकार दर्ज किए गए निष्कर्ष विकृत नहीं पाये जाते हैं तब तक इस न्यायालय को आम तौर पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यद्यपि गवाहों के विवरणों के बीच मामूली विसंगतियां हों जब वे विवरण पर बोलते हैं, जब तक कि ऐसे अंतर्विरोध भौतिक आयामों के न हों इसका

उपयोग साक्ष्य को पूरी तरह से खारिज करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। मामूली विसंगति से अन्यथा स्वीकार्य साक्ष्य नष्ट नहीं होनी चाहिए। (पैरा 18, 19) (49-ए-बी)

7.2 निचली अदालतें अभियोजन मामले को स्वीकार करने में सही निष्कर्ष पर पहुंची है। पी.डब्ल्यू.11 एक स्वाभाविक गवाह है और उसकी साक्ष्य आत्म विश्वास को प्रेरित करती है और इस प्रकार स्वीकार करने लायक है। वर्तमान मामले के तथ्य और परिस्थितियां इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रखती हैं। (पैरा 21) (50-एफ-एच)

मंजू राम कलीता बनाम असम राज्य (2009) 13 एससीसी 330ः 2009 (9) एससीआर 902 और लीलाराम (मृत) द्वारा दुलीचंद बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (1999) 9 एससीसी 525ः 1999 (2) पूरक एससीआर 280-पर भरोसा

केस कानून संदर्भ:-

2009 (7) एससीआर 149 उस पर भरोसा पैरा 9

2010(13) एससीआर 311 उस पर भरोसा पैरा 9

(2011) 7 एससीसी 421 उस पर भरोसा पैरा 9, 13

2005 (2) एससीआर 368 उस पर भरोसा पैरा 10

2006(9) पूरक एससीआर 431 उस पर भरोसा पैरा 11

1995 (5) एससीआर 239 उस पर भरोसा पैरा 12

2011 (1) एससीआर 48 उस पर भरोसा पैरा 13

2010 (10) एससीआर 16 उस पर भरोसा पैरा 16

2009 (9) एससीआर 902 उस पर भरोसा पैरा 18

1999(2) सप्लीमेंट्री एस.सी.आर.280

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार:आपराधिक अपील संख्या 2008/339

उच्च न्यायालय जबलपुर में न्यायिक आपराधिक अपील 1997 की आपराधिक अपील संख्या 518 और 890 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 15.12.2006 से

सिद्धार्थ अग्रवाल, आदित्य वाधवा, सतुई गुजरात, सेंथील जगदीशन वास्ते अपीलाण्ट

विभा दत्ता मखीजा रेस्पोडेंट की ओर से

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

डॉ.बी.एस.चौहान, जे 1. यह आपराधिक अपील 1997 की आपराधिक अपील संख्या 518 और 890 में जबलपुर में न्यायिक उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 15.12.2006 के खिलाफ दायर की गई है।

2- अभियोजन द्वारा बताये गये तथ्य यह हैं कि:-

(।) दिनांक 05.03.1996 को होली के दिन, सुबह लगभग लगभग 11.30 बजे, कैलाश उर्फ किल्लू नाम के व्यक्ति पर रामा टेलर के घर के सामने एक अन्य आरोपी के साथ अपीलकर्ताओं द्वारा हमला किया गया था। मृतक का भतीजा अनिल (पीडब्ल्यू.11), जो कैलाश (मृतक) का पीछा कर रहा था, ने शोर मचाया और हमलावर मौके पर ही पकड़े गए। घटनास्थल पर कई लोग एकत्र हो गए लेकिन हमलावर भागने में सफल रहे। घायल कैलाश को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अपनी चोटों के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया। उपरोक्त के मददेनजर, घटना के एक घंटे के भीतर दोपहर 12.30 बजे भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 302 (इसके बाद इसे 'आईपीसी' कहा जाएगा) और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें दोनों अपीलकर्ताओं और अन्य आरोपियों को नामित किया गया था। एफ.आई.आर.में यह भी कहा गया कि रामदास और पन्नालाल सैनिक नाम के दो पुलिसकर्मी घटनास्थल पर आए और आरोपी व्यक्तियों को भीड़ से छुड़ाया और इस तरह वे भागने में सफल रहे।

(ठ) डॉ.आर.के.सिंघवी(पीडब्ल्यू.8) ने उसी दिन मृतक के शरीर का पोस्टमार्टम किया। उनकी राय में, उनके शरीर पर तीन कटे हुए घाव पाए गए, एक गर्दन पर, एक छाती पर और दूसरा पेट में सभी चोटें तेज धार वाले हथियारों से कारित थी और पोस्टमार्टम से तीन से छह घंटे पहले कैलाश की मौत हो गई थी।

(ब्) जांच के दौरान, अपीलकर्ताओं को गिरफतार कर लिया गया और उनके प्रकटीकरण बयानों पर अपराध में इस्तेमाल किए गए हथियार बरामद किए गए। जांच पूरी होने के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया.

(क्) मामला सत्र न्यायालय को विचारण के लिए सुपुर्द किया गया। अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में बड़ी संख्या में गवाहों से पूछताछ की। बचाव में एक हाले (डीडब्ल्यू.1) की जांच की गई और मुकदमें के समापन के बाद, सभी तीन आरोपियों को दिनांक 21.02.1997 के फैसले और आदेश के तहत धारा 302 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई व प्रत्येक को 2,000/-का जुर्माना देना होगा, अन्यथा की स्थिति में एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

(म्) व्यथित होकर तीनों अभियुक्तों/दोषियों ने जबलपुर के उच्च न्यायालय के समक्ष दो अपीलें अर्थात 1997 की आपराधिक अपील संख्या 518 और 890 प्रस्तुत कीं, जिनका निर्णय उनके वकील की अनुपस्थिति में दिनांक 10.02.2005 के निर्णय और आदेश द्वारा किया गया।

(थ्) व्यथित होने के कारण, वर्तमान दो अपीलकर्ताओं ने इस न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील दायर की यानी 2005 की आपराधिक अपील संख्या 1463-64, जिसे दिनांक 20.07.2006 के निर्णय और आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी और इस न्यायालय ने निर्णय और

आदेश दिनांक 10.02.2005 को रदद करने के बाद अनुमति दी थी। जबलपुर में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने अपीलों को उच्च न्यायालय द्वारा नए सिरे से सुनने के लिए भेज दिया।

(ळ) इस न्यायालय के दिनांक 20.07.2006 के उक्त निर्णय और आदेश के अनुसरण में, अपीलों पर नए सिरे से सुनवाई की गई और उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15.12.2006 को निर्णय और आदेश के तहत खारिज कर दिया गया।

इसलिए, यह अपील

3. गुण-दोष के आधर पर मामले को आगे बढ़ाने से पहले, यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि जहां तक अपीलकर्ता राकेश के मामले का सवार है, वह पहले ही 14 साल से अधिक की सजा काट चुका है और उसे राज्य द्वारा समय से पहले रिहाई दी गई है। अपीलकर्ता राजेश ने लगभग 7-1/2 वर्ष की सजा काट ली है और अभी भी जेल में है। तीसरे व्यक्ति दिनेश ने कोई अपील नहीं की, इसलिए जहां तक इस अपील का सम्बन्ध है, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है।

4. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री सिद्धार्थ अग्रवाल ने प्रस्तुत किया है कि ट्रायल कोर्ट ने कथित चश्मदीद गवाहों खेमचंद (पीडब्ल्यू.10) और अनिल (पीडब्ल्यू.11) पर बहुत अधिक भरोसा किया था, जो कि वास्तव में बिल्कुल भी चश्मदीद गवाह नहीं थे।

अभियोजन पक्ष द्वारा जांचे गए अन्य गवाहों के बयान, अभियोजन पक्ष के मामले को पूरी तरह से गलत साबित करते हैं। खेमचंद (पीडब्ल्यू.10) और अनिल (पीडब्ल्यू.11) के बयानों में भौतिक विसंगतियां रही हैं, और उनके पूरे साक्ष्य को बदनाम किया जाना है। परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, उच्च न्यायालय ने खेमचंद (पीडब्ल्यू.10) के साक्ष्य को भरोसेमंद नहीं पाया, हालांकि, यह समझने में असफल रहा कि अनिल (पीडब्ल्यू.11)के साक्ष्य के साथ भी इसी तरह व्यवहार किया जाना चाहिए। चक्षु सम्बन्धी साक्ष्य, चिकित्सा साक्ष्य के विरोधाभाषी हैं क्योंकि घटना सुबह 11.30 बजे हुई थी, एफआईआर 12.30 बजे दर्ज की गई थी, पोस्टमार्टम परीक्षा उसी दिन यानी 5.3.1996 को दोपहर 1.00 बजे आयोजित की गई थी।

- डॉक्टर ने बताया कि कैलाश उर्फ किल्लू की मौत पोस्टमार्टम से 3 से 6 घंटे पहले हुई थी। अनिल (पीडब्ल्यू.11) जिस पर उच्च न्यायालय ने भरोसा किया, वह मृतक कैलाश उर्फ किल्लू से निकटता से सम्बन्धित है और अभियोजन पक्ष द्वारा जांचे गए किसी भी स्वतंत्र गवाह ने इस हद तक उसके मामले का समर्थन नहीं किया कि अनिल (पीडब्ल्यू.11) प्रासंगिक समय पर घटनास्थल पर उपस्थित हो सके। अतः अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

5. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री विभा दता मखीजा ने अपील का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि कानून

का कोई नियम नहीं है जो पीड़ितों के करीबी रिश्तेदारों के सबूतों पर निर्भरता को रोकता है हालांकि ऐसे सबूतों की सावधानीपूर्वक जांच होना जरूरी है। मृत्यु के समय के संबंध में चिकित्सा साक्ष्य निर्णायक नहीं हो सकते हैं क्योंकि मृत्यु के बाद शरीर की शारीरिक स्थिति विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि उम्र, घटना के स्थान की भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियां आदि। मामले के तथ्य और परिस्थितियां हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रखती है। नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षों के साथ। अपील में योग्यता नहीं है और यह खारिज किये जाने योग्य है।

6. हमने पक्षों के विद्वान वकील द्वारा की गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार किया है और रेकार्ड का अवलोकन किया है।

7. अभियोजन पक्ष के अनुसार, राकेश ने गर्दन के दाहिनी ओर चाकू से वार किया, राजेश ने छाती के दाहिने हिस्से पर गुप्ती से वार किया और दिनेश ने दाहिनी ओर 'कतरना' (42 इंच की लंबी लकड़ी की मूठ वाली कुल्हाड़ी) से मृतक कैलाश उर्फ किल्लू के पेट के हिस्सा पर वार किया यह साक्ष्य चिकित्सा साक्ष्य द्वारा विधिवत समर्थित है क्योंकि डॉ.आरके सिंघवी (पीडब्ल्यू.8) ने पोस्टमार्टम परीक्षण करने पर उनके शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाई,

प) नियमित किनारों के साथ 1.5 ग्2 ग्5 सेमी का दाहिनी लिपिकीय हडडी के दाहिने हिस्से पर कटा हुआ घाव चेहरे की मांसपेशियां, रक्त वाहिका फेफड़े फट गए थे, छाती में खून जमा हो गया था।

पप) दाहिनी तरफ छाती पर 5 सेमी ग् 1 ण्5 सेमी की तीसरी इंरकोस्टर स्थान पर कटा हुआ घाव।

पपप) दाहिनी तरफ छाती में 4 सेमीग् 2 ग् 4 सेमी सेमी के नौवें इंटरकोस्टर स्थान पर कटा हुआ घाव।

डॉक्टर सिंघवी की राय में, सभी चोटें पोस्टमार्टम से पहले 3 से 6 घंटे के भीतर तेज धार वाले हथियारों से लगी हुई प्रतीत होती है।

8. अपीलकर्ताओं और अन्य अभियुक्तों द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयानों में अपराध में इस्तेमाल किए गए सभी हथियार बरामद किए गए थे। डॉ. आरके सिंघवी (पीडब्ल्यू.8) की राय में, चोट सं.1, 2 और 3 अपराध में इस्तेमाल किए गए हथियारों के कारण हो सकती है। यह प्रश्न अवश्य उठता है कि क्या चिकित्सीय और चक्षु साक्षियोेंं की साक्ष्यों में असंगतता/विरोधाभाष है। रिकार्ड पर मौजूद साक्ष्यों से स्पष्ट है कि मृतक कैलाश उर्फ किल्लू की गर्दन, छाती और पेट के दाहिने हिस्से पर चोटें आई थी।

9. यह एक स्थापित कानूनी प्रावधान है कि चक्षु साक्ष्य को प्रधानता मिलेगी, जब तक कि यह स्थापित न हो जाए कि मौखिक साक्ष्य,

चिकित्सा साक्ष्य के साथ पूरी तरह असंगत है। इससे भी अधिक, किसी गवाह की चक्षु साक्ष्य का चिकित्सीय साक्ष्य की तुलना में अधिक स्पष्ट महत्व होता है, जब चिकित्सीय साक्ष्य, चक्षु साक्ष्य को असंभव बना देता है, तो यह साक्ष्य के मूल्यांकन की प्रक्रिया में एक प्रासंगिक कारक बन जाता है। हालांकि, जहां चिकित्सा साक्ष्य इतना आगे बढ़ जाता है कि साबित होने पर यह चक्षु साक्ष्य की सभी संभावनाओं को पूरी तरह से खारिज कर देता है, वहां चक्षु साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। (वाईड यूपी राज्य वी.हरिचंद (2009) 13 एससीसी 542, अब्दुल सईद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2010)10 एससीसी 259, और भजनसिंह उर्फ हरभजनसिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य, (2011) 7 एससीसी 421)

10. जहां तक डॉक्टर की राय है कि मौत पोस्तमार्टम से 3 से 6 घंटे पहले हुई थी, इसका मतलब यह नहीं है कि डॉ.आरके सिंघवी (पीडब्ल्यू.8) मौत का कोई सटीक समय तय करने में सक्षम थे। अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा उठाया गया मुददा अब कोई अभिन्न अंग नहीं रह गया है।

मंगू खान और अन्य बनाम राज.राज्य, एआईआर 2005 एससी 1912, इस न्यायालय ने एक समान मुददे की जांच की जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि मौत पोस्टमार्टम परीक्षा से 24 घंटे पहले हुई

थी। उस मामले में ऐसी राय अभियोजन पक्ष के मामले से मेल नहीं खाती थी, इस न्यायालय ने इस मुददे की विस्तृत जांच की और माना कि मृत्यु के बाद शरीर की शारीरिक स्थिति बड़ी संख्या में परिस्थितियों/कारकों पर निर्भर करेगी और निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। मुददे का निर्धारण करने में, मृतक की उम्र और स्वास्थ स्थिति, घटनास्थल की जलवायु और वायुमंडलीय स्थितियां और वे परिस्थितियां जिनके तहत शरीर को संरक्षित किया गया है, जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करना आवश्यक है। इस मुददे पर डॉक्टर से कोई जिरह नहीं की गई है जिससे कोई भी भौतिक तथ्य सामने आ सके जिस पर इस सम्बन्ध में संभावित तर्क आधारित किया जा सके। स्वीकार्य चक्षु साक्ष्य को ऐसे काल्पनिक आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता जिसके लिए कोई उचित आधार नहीं बनाया गया था।

11. बासो प्रसाद एवं अन्य बनाम बिहार राज्य, एआईआर 2007 एससी 1019 में इसी तरह के मुददे पर विचार करते हुए इस न्यायालय ने माना कि मृत्यु का सही समय वैज्ञानिक और सटीक रूप से स्थापित नहीं किया जा सकता है।

अपीलकर्ताओं द्वारा अपने बचाव में परीक्षित हाले (डीडब्ल्यू.1) ने बताया कि घटना सुबह 11.00 बजे हुई जो अभियोजन पक्ष के मामले के अनुरूप है। इस प्रकार, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ताओं के

विद्वान वकील द्वारा दी गई दलील तर्कसंगत नहीं है और इस प्रकार,अपीलकर्ताओं के पक्ष में संतुलन नहीं झुकता है। तर्क पर किसी और विचार की आवश्यकता नहीं है।

12. कार्तिक मल्हार बनाम बिहार राज्य, (1996) एससीसी 614 में इस न्यायालय ने 'इच्छुक गवाह' को इस प्रकार परिभाषित किया है:

> ''एक करीबी रिश्तेदार जो स्वाभाविक गवाह है, उसे इच्छुक गवाह नहीं माना जा सकता। हितबद्ध शब्द यह बताता है कि किसी न किसी दुश्मनी या किसी अन्य कारण से आरोपी को दोषी ठहराने मंे गवाह का कुछ प्रत्यक्ष हित होना चाहिए।''

13. संबंधित गवाह के साक्ष्य पर भरोसा किया जा सकता है, बशर्ते वह भरोसेमंद हो। महज रिश्ता किसी गवाह को अयोग्य नहीं ठहरा देता। जो गवाह पीड़ित से संबंधित है, वे अन्य गवाहों की तरह ही तथ्यों को बयान करने में सक्षम हैं। किसी मामले में आरोपी की सजा पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले ऐसे सबूतों की सावधानीपूर्वक जांच और सराहना की जानी आवश्यक है। (देखंेः हिमांशु उर्फ चिंटू बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली), (2011)2 एससीसी 36, और भजनसिंह उर्फ हरभजन सिंह और अन्य (सुप्रा)

14. अनिल (पीडब्ल्यू.11), निसंदेह, उसका भतीजा होने के नाते पीड़िता से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। उनके साक्ष्य को उपरोक्त तय कानूनी प्रस्तावों के आलोक में बहुत सावधानीपूर्वक और बारीकी से जांच की आवश्यकता है।

15. अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान वकील के तर्क का मुख्य जोर यह रहा है कि खेमचंद (पीडब्ल्यू.10) और अनिल (पीडब्ल्यू.11) के बयान परस्पर विनाशकारी रहे हैं, इस प्रकार दोनों पूरी तरह से खारिज किए जाने योग्य हैं। उच्च न्यायालय ने खेमचंद (पीडब्ल्यू.10) पर इस हद तक विश्वास नहीं किया कि वह घटना के समय मौजूद था और इस प्रकार, चश्मदीद गवाह नहीं हो सका। अनिल (पीडब्ल्यू.11) के बयान से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि घटना सुबह 10.30 बजे रामा टेलर के घर के सामने हुई और अपीलकर्ताओं ने दिनेश के साथ मिलकर कैलाश (मृतक) की गर्दन पर चाकू, गुप्ती और 'कतरना' जैसे हथियारों से छाती और पेट पर चोटें पहुंचाई। घटना के समय अनिल (पीडब्ल्यू.11)पीड़ित से थोड़ी दूरी पर था। ईश्वर नायक (पीडब्ल्यू.6), धर्मेन्द्र (पीडब्ल्यू.12) और अन्य व्यक्ति भी वहां एकत्र हुए थे। उन्होंने इस मकसद के बारे में भी बताया कि आरोपी राकेश, कैलाश (मृतक) से बर्तन चाहता था, जिसने आरोपी को पैसे देने से इनकार कर दिया था। आरोपी राकेश ने कैलाश को गंभ्भीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। प्रति परीक्षा में उसने स्वीकार किया है कि घटना के समय ईश्वर नायक (पीडब्ल्यू.6), धर्मेन्द्र (पीडब्ल्यू.12) और प्रदीप पाठक

(पीडब्ल्यू.15) आदि उसके साथ थे। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि वह हाले (डीडब्ल्यू.1) द्वारा सूचित किए जाने पर घटनास्थल पर पहुंचे थे और इस सुझाव से भी इनकार किया कि उन्होंने आरोपी व्यक्तियों और मृतक के बीच झगड़ा नहीं देखा था। उन्होंने कैलाश को चोट पहुंचाने के दौरान आरोपियों की खुली हरकतों का पूरा ब्यौरा दिया। उनके साक्ष्य की जांच इस बात को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए कि पटवारी द्वारा तैयार की गई साईट योजना से यह स्पष्ट होता है कि घटना मुख्य सड़क पर हुई थी और पीड़ित और अनिल (पीडब्ल्यू.11)घटना को स्पष्ट रूप से देख सकता था। हालांकि, दोनों के बीच में कोई रूकावट नहीं थी, इस प्रकार अनिल (पीडब्ल्यू.11) घटना को स्पष्ट रूप से देख सकता था। हालांकि, दोनों के बीच की दूरी को लेकर कुछ विवाद रहा है, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आरोपी एक ही गांव का निवासी होने के कारण गवाह को अच्छी तरह से जानता था, इस कारण से दूरी महत्वहीन हो जाती है कि गवाह उसे इतनी दूरी से भी पहचान सके। अन्य चश्मदीद गवाहों, विशेष रूप से ईश्वर नायक (पीडब्ल्यू.6), धर्मेन्द्र (पीडब्ल्यू.12) और प्रदीप पाठक (पीडब्ल्यू.15) ने अभियोजन पक्ष के मामले का उचित समर्थन नहीं किया। धर्मेन्द्र (पीडब्ल्यू.12) को शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया। ईश्वर नायक (पीडब्ल्यू.6) के बयान ने अभियोजन पक्ष के मामले को इस हद तक पुष्ट किया कि अनिल (पीडब्ल्यू.11) उससे पहले घटनास्थल पर था। जिरह में, उन्होंने निम्नानुसार गवाही दीः

''आधे लड़के तुरन्त घटना स्थल की ओर भागे। उनमें अनिल भी थ। मैं अनिल के साथ नहीं गया''।

16. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि घटना सुबह 11.30 बजे हुई, घायल कैलाश को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसकी जांच की और मृत घोषित कर दिया। अनिल (पीडब्ल्यू.11) अस्पताल से पुलिस स्टेशन गया और दोपहर 12.30 बजे एफआईआर दर्ज कराई जिसमें तीनों आरोपियों का विशेष रूप से नाम लिया गया। घटना स्थल से थाने की दूरी महज 1 किमी थी। आरोपियों की खुली करतूत बताई गई। मकसद का भी खुलासा हुआ, यह असंभव है कि अपीलकर्ताओं को गलत तरीके से फंसाया गया था क्योंकि एफआईआर दर्ज करने में तत्परता से पता चलता है कि हेरफेर के लिए कोई समय नहीं था। सूचनाकर्ता द्वारा घटना की सभी ज्वलंत विवरणों के साथ त्वरित और शीघ्र रिपोर्टिंग इसके संस्करण की सत्यता के बारे में आश्वासन देती है। आरोप बाद में सोचे गए या घटनाओं का रंगीन संस्करण नहीं हो सकते हैं। (देखेंः किशनसिंह (मृत) जरिये एल.आर बनाम गुरपालसिंह एवं अन्य, एआईआर 2010 एससी 3624)

यह उन कारणों पर प्रकाश नहीं डालता है कि क्यों गवाह ऐसे जघन्य अपराध में अपीलकर्ताओं और अन्य आरोपियों को झूठा फंसाएगा और वास्तविक दोषियों को बचाएगा। एफआईआर में, अनिल (पीडब्ल्यू.11) ने

खुलासा किया है कि उसके पिता खेमचंद (पीडब्ल्यू.10), ईश्वर नायक (पीडब्ल्यू.6) और धर्मेन्द्र (पीडब्ल्यू.12) बाद में घटना स्थल पर पहुंचे। चूंकि दोनों पक्ष एक ही गांव के निवासी होने के कारण एक दूसरे को जानते थे, इसलिए पहचान आदि को लेकर कोई विवाद नहीं था।

17. ट्रायल कोर्ट ने रिकार्ड पर सबूतों की सराहना की थी और इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि अनिल (पीडब्ल्यू.11) एक भरोसेमंद गवाह था और घटना का चश्मदीद गवाह था। उन्हें कड़ी जिरह का सामना करना पड़ा था। हालांकि, इस तथ्य के बावजूद कि वह कैलाश (मृतक) का भतीजा था, कोई विसंगति या त्रुटि नहीं दिखाई जा सकी। उनके बयान की सावधानीपूर्वक जांच करने पर उनका बयान भरोसेमंद पाया गया। अदालत ने आगे कहा कि भले ही मौके पर मौजूद अन्य गवाहों ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया हो, अनिल (पीडब्ल्यू.11) एक स्वाभाविक गवाह था और उसने घटना देखी थी। अन्य परिस्थितियां, विशेष रूप से, बीएम दुबे, जांच अधिकारी (पीडब्ल्यू.21) और बलराम (पीडब्ल्यू.9) के बयान, आरोपियों की गिरफतारी, उनके प्रकटीकरण बयानों पर हथियारों की बरामदगी ने अभियोजन पक्ष के मामले को साबित कर दिया।

बीएम दुबे (पीडब्ल्यू.21) की गवाही स्वाभाविक थी। इस बात का कोई सबूत नहीं था कि आईओ (पीडब्ल्यू.21) की मृतक से कोई दुश्मनी या

किसी प्रकार की रूचि और निकटता थी। इसलिए, बीएम दुबे, आईओ (पीडब्ल्यू.21) के बयान पर विश्वास न करने का सवाल ही नहीं उठता।

उच्च न्यायालय ने खेमचंद (पीडब्ल्यू.10) पर अविश्वास करने के तथ्य के बावजूद, अनिल (पीडब्ल्यू.11) की एकमात्र गवाही पर अभियोजन पक्ष का मामला पूरी तरह से साबित पाया।

18. नीचे दो अदालतों के समवर्ती निष्कर्ष हैं:-

जब तक दर्ज किए गए निष्कर्ष विकृत नहीं पाए जाते, तब तक इस न्यायालय को आम तौर पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह अदालत सबूतों की दोबारा सराहना करके मुददों को निर्धारित करने के निरर्थक कार्य को शुरू नहीं कर सकती है। (देखेंः मंजूराम कलिता बनाम असम राज्य, (2009) 13 एससीसी 330)।

19. भले ही गवाहों के विवरण के बीच मामूली विसंगतियां हों, जब वे विवरण पर बात करते हैं, जब तक कि ऐसे विरोधाभाष भौतिक आयामों के न हों, इसका उपयोग साक्ष्य को पूरी तरह से खारिज करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। मामूली विसंगति से अन्यथा स्वीकार्य साक्ष्य नष्ट नहीं होने चाहिए।

20. लीला राम (मृत) जरिये दुलीचंद बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य,(1999)9 एससीसी 525 में इस न्यायालय ने निम्नानुसार देखाः

"अदालत को यह ध्यान में रखना होगा कि अलग-अलग गवाह अलग-अलग परिस्थितियों में अलग-अलग प्रतिक्रिया देते हैंः जब कि कुछ अवाक हो जाते हैं, कुछ रोने लगते हैं जबकि कुछ अन्य घटनास्थल से भाग जाते हैं और फिर भी कुछ ऐसे होते हैं जो साहस, दृढ़ विश्वास के साथ आगे आ सकते हैं गलत का निवारण किया जाना चाहिए। वास्तव में यह व्यक्तियों और व्यक्तियों पर निर्भर करता है। मानव प्रतिक्रिया का कोई निर्धारित पैटर्न या समान नियम नहीं हो सकता है और उसकी प्रतिक्रिया के आधार पर साक्ष्य के एक टुकड़े को खारिज करना एक निर्धारित पैटर्न के अन्तर्गत नहीं आता है। अनुत्पादक और पंाडित्यपूर्ण अभ्यास।"

21. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम अपरिहार्य निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि निचली अदालतें अभियोजन मामले को स्वीकार करने में सही निष्कर्ष पर पहुंची हैं। अनिल (पीडब्ल्यू.11) एक स्वाभाविक गवाह है और उसकी गवाही आत्मविश्वास को प्रेरित करती है और इस प्रकार, स्वीकार करने लायक है।

वर्तमान मामले के तथ्य और परिस्थितियां इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रखती हैं। अपील में योग्यता नहीं है और इसलिए इसे खारिज किया जाता है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री रूपचन्द सुथार आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग) विशिष्ठ न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस.प्रकरण, हनुमानगढ़ द्वारा किया गया है। यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य अन्य उददेश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उददेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।